न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलियां, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 184/2013

सायल :-

1. रामपाल पुत्र उम्मेदराम
2. भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम, जातियान-कुमावत निवासीगण-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

गै0सा0 :-

1. हरकुदेवी पत्नी जेठाराम फौत
2. मोहनलाल पुत्र जेठाराम
3. पुखराज पुत्र जेठाराम
4. चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम
5. अमरचंद पुत्र जेठाराम
6. पारसमल पुत्र जेठाराम
7. रतनलाल पुत्र जेठाराम
8. मीरा पत्नी भंवरलाल
9. सुरेशचंद्र पुत्र भंवरलाल
10. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल जातियान-जाट
11. मोहनलाल पुत्र उम्मेदराम
12. हरिराम फौत के का.मु.
    1. कमला पत्नी हरिराम
    2. संदीप पुत्र हरिराम
    3. संदेश कुमार पुत्र हरिराम
13. गोरधन पुत्र पाबुराम
14. श्रवण पुत्र पाबुराम
15. छोटु पुत्र पाबुराम
16. मदन पुत्र पाबुराम
17. पेमाराम पुत्र चन्द्राराम
18. माणक पुत्र चन्द्राराम
19. मदन पुत्र चन्द्राराम
20. भीरम पुत्र चन्द्राराम
21. गंगा पत्नी चन्द्राराम जातियान-बावरी, निवासीगण-जैतारण।
22. जुगाराम पुत्र लाबुराम
23. रामसुख पुत्र मानीया
24. हडमान पुत्र मानीया
25. जगदीश पुत्र मानीया
26. घेवर पुत्र भंवरीया
27. केवल पुत्र भंवरीया
28. राजु पुत्र घीसा
29. तारा पुत्र घीसा
30. दरिया पुत्र घीसा
31. गीता बेवा घीसा जातियान-बावरी, निवासीगण-पातुस
32. तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील जैतारण।
33. जवरीलाल पुत्र जुगराज जाति-बावरी निवासी, चक पातुस, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 19/06/2013

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी , अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, शाकिर हुसेन, देवाराम कटारिया, चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 19/02/2019**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चक पातुस, पटवार हल्का–जैतारण में सायलान व गैर सायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नम्बर 4 रकबा 34–15 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 474–11 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 509–17 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी की नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माने जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उक्त आराजी पक्षकारान् की सहमति से अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक भी सामलाती दर्ज है। जिसका बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा नहीं होने से सायलान् को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। जिसमें सायलान उक्त आराजी में कुआं खुदवानें, बिजली कनेक्शन लेने तथा खाद डालकर उपजाऊ बनाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा जब तक कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक सायलान् अपने उक्त आराजी के चारों तरफ मेडबंदी नहीं करवा सकता है न हि उसका सही तरीके से काश्त के रूप में उपयोग ले सकता है। इसलिए सायलान् ने वाद बंटवाड़े का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश किया है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नहीं होने से गैरसायलान् आये दिन उक्त आराजी में सायलान् के हिस्से में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है तथा अपनी आराजी में सायलान् के हिस्से में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है तथा अपनी मनमर्जी अनुसार हठधर्मिता से एवं लाठी के बल पर मौके की जमीन पर कब्जा कर तारबंदी कर रहे है एवं उसमें कच्चा पक्का निर्माण करने पर भी उतारू है तथा सायलान् को मौके से भी बेदखल कर अकेले सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा जमाने पर उतारू है। जबकि जब तक कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हो जाता प्रत्येक खातेदारों का हर इंच पर खातेदारी अधिकारी होता है। इसलिए सायलान् ने वाद बंटवाडें का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश किया है। सायलान् अपने व्यापार के सिलसिले से अधिकतर बाहर रहते है एवं काश्त के समय ही यहां आते है तो गैरसायलान् उनको काश्त नहीं करने देने की ऐलानिया धमकी देते है तथा मौके पर रास्ते के पास की जमीन पर अपना कब्जा जमाकर फन्ट की जमीन पर अपना हक जताते है एवं गैरसायलान् के लिये जमीन भी नहीं छोड़ते है तथा उक्त आराजी में मौके पर तारबंदी कर सम्पूर्ण आराजी में अपना हक जमाने पर उतारू है। यदि गैरसायलान् अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तथा सायलान् को मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा जमा लेते है एवं रास्ते के पास की जमीन के प्लॉट काटकर अजनबी क्रेता को बैचान कर देते है तो

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान् को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है एवं सायलान् को अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा। इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश किया है। दिनांक 15/06/2013 को गैरसायलान् एक राय होकर उपरोक्त वर्णित आराजी में मौके पर तारबंदी कर उस पर अपना हक जताने लगे तब सायलान् ने मना किया कि उक्त आराजी में हमारा ही हिस्सा है, तब गैरसायलान् ने ऐलानियां धमकी दी कि यहां तुम्हारा कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं है, सम्पूर्ण आराजी पर हम अकेले ही कब्जा कर मौके से तुम्हे बेदखल करके उक्त आराजी किसी अन्य अजनबी क्रेता को बैचान कर देंगें। यदि गैरसायलान् अपने इन गैरकानूनी इरादों में कामयाब हो जाते है तो सायलान् को अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा एवं मौके पर विवाद बढेगा। जिससे लडाई झगडे होंगे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स बढेगी। इन सबसे बचने के लिये एवं सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। समस्त दस्तावेजात् राजस्व रेकर्ड में सायलान् का बतौर खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज होना, मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टियां मामला व सुविधा का संतुलन सायलान् के पक्ष में बखुबी साबित है तथा गैरसायलान् अपनी हठधर्मिता से लाठी के बल पर सायलान् को मौके से बेदखलकर उक्त आराजी में किसी तरह का कोई कच्चा पक्का निर्माण या उक्त आराजी में फ्रन्ट की जमीन को किसी अनय को रहन, बैचान, बक्सीस व हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान् को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। इसलिए सायलान का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर सायलान् के पेश है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को जरिए नोटिसेज तलब किये गये। गैर सायलान की ओर से वकालात नामा पेश हुआ। जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जबाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि गैरसायल संख्या एक से लगायत दस तक 1/3 वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा 1/3 वां हिस्सा उम्मेदराम के विधिक वारिसान का है। तथा शेष 1/3 वें हिस्से की आराजी दिगर गैरसायलान् की है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी सायलान् व गैरसायलान के बीच पिछले लगभग 55 वर्षो से अधिक समय से यानि वर्ष 1960 आपसी सहमति से मौके पर अलग-अलग बंटी हुई है। उसी माफिक खातेदारों का कब्जा व हक व अधिकार भी मौके पर है। माफिक मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। गैरसायल संख्या एक से दस के पूर्वज जैठाराम व सायलान् तथा गैरसायल संख्या 11 व 12 के पूर्वज उम्मेदराम के बीच की जमीन वर्ष 1960 से बांटी गई थी। उसी समय से जमीन के बीच में रास्ता भी छोडा हुआ है जो मौके पर लगभग बीस फुट चौडाई में है इसी माफिक खातेदार अपने-अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते आ रहे है। सायलान् का कथन पूर्णतया असत्य , झठे व बेबुनियाद है कि जमीन मौके पर सामलाती है। पूर्णतया मिथ्या है। वर्ष 1960 से ही जमीन नाप चौप कर मौके पर बांटी जा चुकी थी। तत्तपश्चात् लगभग पिछले 20 पूर्व दुबारा इस जमीन का नाप चौप कर सीमांकन किया गया। एवं माफिक पूर्व के कब्जा अनुसार ही सभी हिस्सेदारों ने अपने-अपने हिस्से की जमीन अपने हिस्से में रखी थी। तब से लगायत आज दिन

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तक नजरी नक्शें में वर्णित स्थिति अनुसार ही खातेदार अपने-अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आराजी का बंटवाड़ा नहीं होने व सामलाती होने के कथन मिथ्या है। सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि को उपयोगी बनावें, अपने हक हिस्से की भूमि पर कुआं खुदवावें व अन्य कोई कार्य करे तो उसमें जबाब देहन्ता को कोई ऐतराज नहीं है। मौके पर खातेदारों की जमीन आपसी सहमति से बंटी हुई है इसी माफिक अलग-अलग खंदक लगाई जाकर उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है। अब नये सिरे से बंटवाड़ा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मौके पर माफिक खातेदारों के हक हिस्से अनुसार भूमि की देखरेख करने व उपयोग उपभोग करने का प्रत्येक खातेदार को अधिकार प्राप्त है। सायलान् जैतारण में रहते है या कही पर बाहर रहते है इसको लेकर के कही पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। न ही भूमि कहीं पर आगे या पीछे होने के कथन मिथ्या है बल्कि सम्पूर्ण जमीन एकरूपता में ही है। उसी एक समान प्रकृति को देखत हुए गैरसायलान् के पूर्वज जेठाराम व सायलान् के पिता उम्मेदराम ने आपसी सहमति से इस जमीन का बंटवाड़ा 1960 में ही कर लिया था। इसी माफिक ही खंदक (सेण्डवॉल) लगी हुई है। जिस पर तारबंदी की हुई है। जमीन के बेचान करने को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्लॉट काट देने के आरोप भी मिथ्या है। सायलान ने बिना किन्ही आधारों के झूठें तथ्यों का समावेश करते हुए यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान गैरसायलान् के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा सायलान व उनके परिवार वालों का है। शेष 1/3 हिस्सा जेठाराम व उनके परिवार वालों का है। एवं 1/3 हिस्सा रामसुख व अन्य का है। उक्त जमीन वर्षो से पूर्व अलग-अलग बंटी हुई है। मेड़बंदी भी की हुई है। उक्त जमीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि से मौके पर लगभग 142 बीघा भूमि कम है। यानि मौके पर जमीन 366-11 बीघा ही है। जिसका आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है। इस जमीन पर राजुराम केवलराम आदि ने जबरदस्ती ईटें लाकर डलवादी एवं कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जिसे रूकवाया जावें। इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 05/06/2013 व 14/06/2013 को पेश हुआ जिसकी प्रमाणित प्रति इस जबाब के साथ पेश है। इससे यह स्वीकृत सुदा स्थिति है कि उक्त भूमि पर मौके हिस्सेदार के बीच बंटी हुई है। जिसके बाबत् नये सिरे से कोई बंटवाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर से बंटवाड़ा बाबत् लिखे गये तथ्यों से सायलान् स्वयं पाबंद है इसलिए भी सायलान का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के होने से खारिज फरमावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय की सुनी गई। बहस समायत की गई। पत्रावली मय दस्तावेतात एवं जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने बहस में जाहिर किया कि विधि का सिद्धान्त हैं कि एक खातेदार अपने सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। सायलान का प्रा.पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। वस्तुतः प्रार्थना पत्र जवाब में जाहिर किया कि गैरसायल संख्या एक से लगायत दस तक 1/3 वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा 1/3 वां हिस्सा उम्मेदराम के विधिक वारिसान का है। तथा शेष 1/3 वें हिस्से की आराजी दिगर गैरसायलान् की है। उक्त विवादित आराजी वर्षो पूर्व खातेदारों के आपस में बंटी

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हुई हैं, उसी अनुरूप कब्जे काश्त हैं। नये सिरे बंटवाड़ा करवाया जाने की आवश्यकता नही हैं। सायलान ने भी जाहिर किया हैं कि उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रखा हैं परन्तु पक्षकारान की आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार से मौके पर खातेदारों के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त हैं, और काश्त कर रहे हैं तो मौके पर किसी प्रकार का विवाद होना एवं सायलान को किसी प्रकार की क्षति होना प्रतीत नही होता हैं। प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन हैं। लिहाजा सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र तथ्यहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हों।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/02/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)